[2018] 9 एस. सी. आर 959

निश्चित और ए. एन. आर.

वी.

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1445-1446 2012 का)

21 अगस्त, 2018

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: s.302 r/ws। 34 - हत्या-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता-चुनाव के दिन की घटना-अभियोजन

मामला यह था कि पीड़ित-मृतक हारने वाले उम्मीदवार अभियुक्त ए-1 और ए-2 का चुनाव एजेंट था, दोनों हारने के समर्थक थे।

उम्मीदवार मृतक के घर आया और उससे पूछा उनके साथ इस बहाने से जाएँ कि हारने वाला उम्मीदवार गलत था

एक आपराधिक मामले में फंसाया गया और इसलिए वे एक जवाबी मामले में जीतने वाले उम्मीदवार को भी गलत तरीके से शामिल करते थे रास्ते में, ए-3 भी उनके साथ शामिल हो गया-सुबह 4 बजे, पीडब्लू-14 जब हस्तांतरण आरी की प्रतीक्षा कर रहा था

ए-1 से ए-3 और मृतक ऑटो रिक्शा में जा रहा था-मृतक को परित्यक्त घर ले जाया गया जहां उसे ए-1 और ए-2 द्वारा गोली मार दी गई-इसके बाद ए-1 और ए-2 मृतक को अस्पताल ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई-ए-2 ने प्राथमिकी दर्ज की जिसमें बताया गया कि जब वे पैदल जा रहे थे, तो जीतने वाले पक्ष के सदस्यों ने उन पर गोली चलाई जो पीड़ित को लगी-घटना के दस दिन बाद, सभी अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं ने पीडब्लू-16 के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया-निचली अदालत ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा -

अपील की गईः यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामले में उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है-इस मामले में, यह आश्वस्त नहीं है कि

आरोपी जीतने वाले उम्मीदवार के बेटे पर झूठा मामला थोपने के मकसद से अपने ही व्यक्ति की हत्या कर देते थे-सामग्री थी

मृतक की पत्नी के बयानों में सुधार, जिसने उसके बयान को अविश्वसनीय और संदिग्ध बना दिया-मृतक की पत्नी का चुप रहने और अपने पति को आरोपी के साथ जाने से नहीं रोकने का आचरण, भले ही वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पति को किसी को गोली मारने के लिए ले जाया जा रहा था, किसी भी विश्वास को प्रेरित करने के लिए स्वाभाविक मानवीय व्यवहार के साथ फिट नहीं बैठता था-कोई सीधा सबूत नहीं था जिसके कारण अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से साबित हुआ

कि मृतक को परित्यक्त घर में गोली मार दी गई थी जैसा कि आरोप लगाया गया था-इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं कर सका-दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिस्थितियों में एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सतर्क और करीबी जांच की आवश्यकता होती है-एक संयोग गवाह को घटना के स्थान पर अपनी उपस्थिति की पर्याप्त रूप से व्याख्या करनी चाहिए-एक संयोग गवाह की गवाही जिसकी घटना के स्थान पर उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। गवाहः इच्छुक गवाह-हालांकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मृतक के साथ केवल संबंध बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

एक गवाह, हालांकि, तत्काल मामले में, मृतक की पत्नी आरोपी के साथ पहले की दुश्मनी के कारण एक इच्छुक गवाह थी इसलिए, उसके साक्ष्य ने उसी दंड संहिता, 1860 पर भरोसा करने के लिए विश्वास को प्रेरित नहीं किया - s.302 r/ws। 34 .

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, अदालतों से उपलब्ध साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है, जिससे आरोपी दोषी हो सकता है। अधिकांश मामलों में, अपराध का निष्कर्ष आमतौर पर मामले को इसकी शुरुआत से लेकर कार्य के बिंदु तक स्थापित करके निकाला जाता है, जिसमें प्रत्येक तथ्यात्मक कड़ी अंततः किसी तथ्य के साक्ष्य या उसके निष्कर्ष पर आधारित होती है। इसलिए, अदालतों को पहले तथ्यों की पहचान करनी होगी ताकि मामले को 'चेन लिंक थ्योरी' के मापदंडों के भीतर फिट किया जा सके और फिर यह देखा जा सके कि क्या मामला उचित संदेह से परे है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामला। इस मामले में, उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, यहाँ उद्देश्य मध्यवर्ती तथ्य/परिस्थितियों में से एक है। मृतक की हत्या का उद्देश्य जीतने वाले उम्मीदवार के बेटे पर झूठा मामला थोपना था। अगर मकसद एक झूठा मामला दर्ज कराना था, तो यह विश्वास करना काफी अजीब है कि आरोपी के पास गया था चुनाव में हार का बदला लेने के लिए उम्मीदवार को खोने के समर्थक अपने ही व्यक्ति को मारने की सीमा। भले ही मकसद को साबित माना जाए, फिर भी यह भी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितियों में से एक है। [परिच्छेद 39,40] [979-D-F, G; 980-C-D] निश्चित और ANDR।

वी. हरियाणा राज्य

प्रकाश वी. राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 2013 एससी

1474 : [2013] 2 एस. सी. आर. 458; हनुमंत और अन्य बनाम। राज्य

मध्य प्रदेश ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343: [1952] एससीआर

1091 ; शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र राज्य आकाशवाणी 1973 एससी 55; अनंत चिंतामन लागु बनाम। बम्बई राज्य

ए. आई. आर 1960 एस. सी. 500: [1960] एस. सी. आर. 460; देवनंदन

मिश्रा बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1955 एससी 801: [1955] एससीआर

570 ; गोविंदा रेड्डी बनाम। मैसूर राज्य ए. आई. आर 1960 एस. सी.

29 ; चरण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1967

एससी 520; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, ए. आई. आर 1984 एस. सी. 1622: [1985] 1 एससीआर 88

-

उस पर भरोसा करें

मयूर वी। राजा 13 सी. एल. आर. 619-संदर्भित।

साक्ष्य के कानून पर एक व्यावहारिक ग्रंथ, और

दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में सबूत (खंड। I, चौथा संस्करण। ,

1876) थॉमस स्टार्की द्वारा; भारतीय साक्ष्य का परिचय

अधिनियम, 1872; व्हार्टन का आपराधिक साक्ष्य (1955) -

संदर्भित किया गया।

2. पीडब्लू-13 (मृतक की पत्नी) का साक्ष्य चित्रित करता है।

कि उनके बयानों में भौतिक सुधार थे, जो उनके बयान को अविश्वसनीय और संदिग्ध बनाता है। प्रतिशोधात्मक जिरह के दौरान दिए गए बयान स्पष्ट रूप से उसकी गवाही को ध्यान में रखने से रोकते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पत्नी और अभियुक्त अपीलार्थियों के बीच पूर्व शत्रुता थी, जो उसके बयानों को अविश्वसनीय बनाती है। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि भले ही वह जानती थी कि उसके पति को किसी को गोली मारने के लिए ले जाया गया था, लेकिन वह चुप रही और अपने पति को आरोपी के साथ जाने से नहीं रोका। इस तरह का व्यवहार संदिग्ध होगा क्योंकि यह किसी भी आत्मविश्वास को प्रेरित

करने के लिए प्राकृतिक मानव व्यवहार के साथ फिट नहीं बैठता है। यद्यपि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मृतक के साथ केवल संबंध एक गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, वर्तमान परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि पत्नी पहले के कारण एक इच्छुक गवाह थी।

अभियुक्तों के बीच दुश्मनी। इसलिए, यह गवाह प्रेरित नहीं करता है उसी पर भरोसा करने का विश्वास। [पारस 41,42] [980-ई-एच; 981-ए]

3. आम तौर पर, मौका गवाह, जो उचित रूप से समझाता है

संबंधित समय पर नामित स्थान पर उनकी उपस्थिति, [2018] 9 एस. सी. आर. हो सकती है।

ध्यान में रखा जाना चाहिए और उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, यदि उनका संस्करण आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और इसका समर्थन करता है

आसपास की परिस्थितियाँ। एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सतर्क और करीबी जांच की आवश्यकता होती है। पीडब्लू-14 ने यह नहीं बताया कि वह ब्रिस्टल जेल के पास इतनी जल्दी 4 बजे क्यों खड़ा थाः 00 सर्दियों के चरम दिन सुबह, जब गाँव के लिए पहली बस 7 बजे थीः 00 एएम। इसके अलावा, यह संदेह है कि ए-3 ने ऑटो-रिक्शा में यात्रा करते समय बंदूक लहरा दी होगी। यह संदिग्ध है कि यह जानने के बाद भी कि पीड़ित-मृतक की हिसार में हत्या कर दी गई थी, पीडब्लू-14 ने किसी को यह नहीं बताया कि उसने मृतक को सुबह आरोपी अपीलार्थी के साथ हिसार की ओर जाते हुए देखा था। वास्तव में, यह काफी अविश्वसनीय है कि एक आदमी, उत्तर भारतीय सर्दियों के चरम के दौरान, एक बस के लिए सुबह 4 बजे इंतजार करेगा, जो 7 बजे रवाना होने वाली हैः 00 ए एम मॉर्निंग। ये संदिग्ध परिस्थितियाँ

पीडब्लू की सामान्य विश्वसनीयता-14. इसलिए, यह न्यायालय इस गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। [पैरा 44,45] [981-सी-डी, एफ-एच]

सतबीर बनाम. सूरत सिंह (1997) 4 एससीसी 192: [1997] 2 एससीआर 1; हरजिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2004) 11 एस. सी. सी. 253; शंकरलाल बनाम राजस्थान राज्य (2004) 10 एस. सी. सी. 632; थंगैया बनाम। तमिलनाडु राज्य (2005) 9 एससीसी

650 : [2004] 6 पूरक। एससीआर 786-पर निर्भर।

रे पेरियास्वामी मूपन, ए. आई. आर 1931 मैड। 177 -

मंजूरी मिल गई।

सह-अभियुक्त के खिलाफ अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है यदि यह बिल्कुल भी एक है, केवल तभी जब रिकॉर्ड पर अन्य स्वतंत्र साक्ष्य ने अपराध के मूल आधार को स्थापित किया है। अभियोजन। सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब आसपास की परिस्थितियाँ हों।

ये असंभव हैं और संदेह पैदा करते हैं। [पारस 46,47] [982-ए, ई-एफ]

हरिचरण कुर्मी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1964 एस. सी 1184

: [1964] एस. सी. आर. 623-निर्भर

5. एफ. एस. एल. रिपोर्ट साक्ष्य का हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि अपराध आदर्श सुरेश एंड ए. एन. आर. के घर में हुआ था।

वी. हरियाणा राज्य

नगर, हिसार और ए-3 से संबंधित 0.15 बोर की बंदूक का उपयोग किया गया था। अभियोजन पक्ष से रिपोर्ट के लेखक की जांच करने की उम्मीद की गई थी, और इसकी जांच न करना मामले में एक घातक त्रुटि है। इसके अलावा, घटना स्थल पर, कोई रक्त या पैर के निशान नहीं पाए गए, जो पीडब्लू-8 के साक्ष्य से स्पष्ट है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से साबित किया कि मृतक को आदर्श पर गोली मारी गई थी

हिसार में नगर। यहां तक कि जिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है, उनके बीच भी अंतराल होता है। अभियुक्त के गाँव छोड़ने और अभियुक्त के बीच एक बड़ा अंतराल था-अपीलार्थी हिसार के अस्पताल में देखे गए थे। न ही मध्यवर्ती तथ्य हैं

निश्चितता के साथ स्थापित किया गया है, न ही समग्र रूप से मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है। [पारस 48,51] [982-एच; 983-ए-बी; 984 डी-ई]

लतेश वी. महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर 2018 एस. सी. 659:

[2018] 1 एस. सी. आर. 709-निर्भर

मामला कानून संदर्भ

[1960] एससीआर 460

पैरा 33

उस पर भरोसा करें

[1952] एससीआर 1091

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

[1955] एससीआर 570

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

आकाशवाणी 1960 एससी 29

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

ए. आई. आर 1967 एस. सी. 520

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[2013] 2 एससीआर 458

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1973 एस. सी 55

पैरा 40

[1997] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

(2004) 11 एस. सी. सी. 253

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

(2004) 10 एस. सी. सी. 632

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[2004] 6 पूरक। एससीआर 786

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

पैरा 47

एयर 1931 मैड। 177

मंजूरी मिल गई।

[1964] एससीआर 623

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2018] 1 एससीआर 709

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1445-1446 2012 का सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 03.01.2012 के निर्णय और आदेश से। अपील संख्या 157-डी. बी./2002 और सी. आर. एल. अपील No.273-DB/2002

के साथ

2012 की आपराधिक अपील No.1458

सुश्री अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ऋषि मल्होत्रा, रजत कपूर, डॉ. मोनिका गुसैन, सी. सोलोमन, राम कुमार त्रिपाठी, सुश्री अमनदीप कौर,

अनिल कुमार तांडले, हिमांशु गुप्ता, कमल मोहन गुप्ता, अधिवक्ता। उसके साथ उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, जे. 1. विशेष अनुमति याचिकाओं द्वारा ये अपीलें, दो अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् शोभत सिंह और सुरेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्य व्यक्तियों, अर्थात् धरमपाल और उमेद सिंह, बेग राज और धरमबीर के बेटों, के परिणामी बरी होने के खिलाफ दायर की जाती हैं।

हरियाणा में सी. आर. एल. अपील सं. 157-2002 का डी. बी., 2002 का 273-डी. बी., 2002 का 920-एस. बी., 2002 का 751-डी. बी. ए. और सी. आर. एल. 2004 का संशोधन सं. 907। तथ्यों के जुड़े होने और मुद्दों के समान होने के कारण, हम इन अपीलों से एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटना चाहेंगे।

2. इन मामलों के निपटारे के लिए कुछ तथ्य जो आवश्यक हैं, वे यह हैं कि गाँव में 15.12.1994 पर पंचायत चुनाव हुआ था।

सुंदवास, जहाँ दो प्रमुख प्रतियोगी थे-महा सिंह और बेग राज के बेटे धर्मपाल। मृतक चंदर भान हारने वाले उम्मीदवार महा सिंह के चुनाव एजेंट थे। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चुनाव के दिन सुबह लगभग 11 बजे दोनों गुटों के बीच गोलीबारी सहित झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप समर्थक

धरमपाल के बेटे बेग राज (विजेता उम्मीदवार) को चोटें आईं। इस संदर्भ में, महा सिंह (हारने वाले उम्मीदवार) और एक दरिया के खिलाफ 1994 की प्राथमिकी संख्या 733 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के साथ 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत दर्ज की गई थी।

3. बाद में, 15 और 16 दिसंबर 1994 की दरम्यानी रात के दौरान, नानक राम (आरोपी ए-1) का बेटा धर्मपाल उर्फ धरम, शोभत सिंह (आरोपी ए-2), दोनों उम्मीदवार महा सिंह को खोने के समर्थक होने के नाते, चंद्र भान के घर इस बहाने आया कि सुरेश और ए. एन. आर।

वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

चूँकि महा सिंह चुनाव हार गए थे और एक आपराधिक मामले में शामिल थे, इसलिए उन्हें बेग राज के बेटे धर्मपाल के खिलाफ एक जवाबी मामला दर्ज करके उसे भी गलत तरीके से फंसाना चाहिए। इस बहाने वे चंदर भान के साथ हिसार गए। उनके रास्ते में, एक सुरेश [आरोपी ए-3] के उनके साथ शामिल होने की उम्मीद है।

4. माही राम [पीडब्लू-14] का एक बेटा उमेद सिंह, हिसार की बोरस्टल जेल के पास 4 बजे परिवहन के लिए इंतजार कर रहा थाः 00 ए. एम. 16.12.1994 पर

(सुबह) ने ए-1, ए-2, चंदर भान और ए-3 को ऑटो रिक्शा में जाते देखा था। यह अभियोजन पक्ष का संस्करण है कि वे सभी एक

हिसार के आदर्श नगर में परित्यक्त घर, जिसमें चंदर भान (मृतक) को उपरोक्त आरोपी ने गोली मार दी थी।

5. इसके बाद ए-1 और ए-2 ने घायल चंदर भंतो को हिसार के सिटी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आरोप है कि इस बीच ए

3 बंदूक छिपाने की कोशिश की। रिकॉर्ड से पता चलता है कि चंदर भान ने उपरोक्त अस्पताल में भर्ती होने के 20 मिनट बाद 16.12.1994 पर दम तोड़ दिया।

6. इसके बाद आरोपी ए-2 बेग के बेटे उमेद सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सदर हिसार के पुलिस स्टेशन गया।

राज, बेग राज [सरपंच] के पुत्र धरम पाल और चंदर भान की मृत्यु के लिए धरमबीर। तदनुसार, अभियुक्त ए-2 के आधार पर पुलिस के समक्ष एफ. आई. आर. संख्या 736/1994, दिनांक 16.12.1994 दर्ज की गई थी।

चंडीगढ़ पैदल। गाँव सुंदवास से कुछ किलोमीटर आगे पहुँचने पर उन्होंने एक जीप को अपनी ओर आते देखा। रहने वालों में से एक, बेग राज के बेटे उमेद सिंह ने लालकारा उठाया कि दुश्मन जा रहे हैं और उन्हें चुनाव में महा सिंह की मदद करने के लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। बेगम राज और धरमबीर के धर्मपाल और उमेद सिंहसन जीप से उतरे और पिस्तौल से लैस बेग राज के बेटे धरम पाल ने चंदर भान के पेट में गोली मार दी और भाग गए। यह है। आरोप लगाया कि ए-1 और ए-2, जो गोलीबारी से बच गए थे, उन्हें हिसार के सिटी सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

8. इस मामले की जांच आई. ओ. भीम सिंह [पीडब्लू-15] द्वारा की गई थी, जो आरोपी के कथन के अनुसार कथित घटना स्थल पर पहुंचे थे। ए-2। हालाँकि, वह किसी भी आपत्तिजनक सामग्री का पता नहीं लगा सके जैसा कि आरोप लगाया गया है। अभियुक्त ए-2 के बयान पर संदेह होने पर जाँचकर्ता पुलिस ने विभिन्न कोणों से जाँच शुरू कर दी।

10. यह ध्यान दिया जा सकता है कि ज़िले सिंह ने सभी अभियुक्तों को पुलिस के सामने पेश किया और उसके बाद अभियुक्त ने घटना स्थल की पहचान की। अलग-अलग अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए इस तरह के प्रकटीकरण बयानों के आधार पर, पुलिस पर आरोप है कि उसने खुरली से एक लाइसेंस प्राप्त बंदूक, गोलियां, छर्रों, कुछ ठोस सामग्री बरामद की है।

आदर्श नगर, हिसार में घर। उपरोक्त शिकायत के आधार पर, पी. एस. सदर, हिसार के एस. आई. भीम सिंह ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25,30,54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया, जो कि एफ. आई. आर. सं. 743 है। पी. जेड./1], लक्ष्मण सिंह [ए-4] और ए-3 के खिलाफ।

11. जाँच पूरी होने के बाद, अभियुक्त ए-1, ए-2 और ए-3 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराधों के लिए अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए और तदनुसार, एडिशनल द्वारा बुलाया गया। 1995 के आपराधिक मामले सं. सं. सं.

वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

प्रभार

संचारण

स्वीकार किया गया

आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना।

S.302/34

शोभत

डिफ़ॉल्ट रूप से, 6 के लिए आर. आई. भुगतना होगा

आईपीसी

सिंह [ए-2]

महीनों

[1] आर. आई. आजीवन और रुपये का जुर्माना

[1] एस.

5,000 . डिफ़ॉल्ट रूप से, आर. आई. के लिए पीड़ित होना

302/34 आईपीसी

6 महीनों तक।

[2] एस. 25

सुरेश [ए।

[2] 1 वर्ष के लिए आर. आई. और रु.

शस्त्र अधिनियम

3]

500 , डिफ़ॉल्ट रूप से, आर. आई. से गुजरने के लिए

15 दिन होते हैं।

सजा समवर्ती रूप से चलने के लिए।

1, 000 रुपये का जुर्माना। डिफ़ॉल्ट रूप से, करने के लिए

एस. 30,

लैचमैन

15 दिनों तक आर. आई. से पीड़ित रहें।

[ए-4]

शस्त्र अधिनियम

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुकदमे के दौरान आरोपी ए-1 की मृत्यु हो गई और मुकदमा चलाया गया। जिससे वह शांत हो गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया, और नीचे दिए गए अनुसार

मकसद साबित हो जाता है, जिसमें अपराध का मंचन किया गया था ताकि

अ)

उल्टा से संबंधित सरपंच धर्मपाल को गलत तरीके से फंसाना

राजनीतिक गुट।

ख)

कि आरोपी ने एक झूठी कहानी पेश की और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

धर्मपाल, उमेद सिंह, बेग राज और धरमबीर के बेटों ने आरोप लगाया कि उन्होंने चंदर भान की हत्या की है। लेकिन उस स्थान पर धर्मपाल, उमेद और धरमबीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

अभियुक्त ए-2 द्वारा वर्णित घटना।

(ग)

धर्मपाल, उमेद सिंह और धरमबीर का कोई मकसद नहीं था। चंदर भान की हत्या करना। बल्कि, एक उद्देश्य की ओर से मौजूद है

अभियुक्त, क्योंकि उनका उम्मीदवार चुनाव हार गया था।

अनुमान लगाया गया था कि चोट लगने की संभावना

(घ)

ए-1 और ए-2 द्वारा चंदर भान अपेक्षाकृत अधिक था।

उस पीडब्लू-14, माही राम के बेटे उमेद सिंह ने आरोपी को देखा था।

ई)

मृतक के साथ सुबह जल्दी जब उनकी एक छोटी सी बातचीत हुई और उमेद सिंह (पीडब्लू-14) ने देखा कि

सुरेश के हाथ में सिंगल बैरल बंदूक थी।

18] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि अभियुक्त ए-2 का संस्करण कई कारणों से मान्य नहीं था

च)

विपरीत परिस्थितियाँ।

कि अभियुक्तों ने जिल सिंह के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया था

जी)

(पीडब्लू-16), जिन्होंने बाद में आरोपी को 25.12.1994 पर पुलिस के सामने पेश किया।

ज) कि अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए प्रकटीकरण बयानों से लाइसेंस प्राप्त बंदूक की बरामदगी हुई

और छर्रों।

एफ. एस. एल. रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जिन छर्रों को बरामद किया गया था

(i)

खुरली से इस तरह के प्रकटीकरण के अनुसार मृत शरीर में पाए गए लोगों के समान थे।

जे)

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत की पुष्टि होती है गोलीक चोटक कारण रक्तस्राव आ आघातक कारण।

13. इस तथ्य से व्यथित होकर कि शिकायतकर्ता को स्वयं जांच प्राधिकरण द्वारा एक आरोपी के रूप में दिखाया गया था, ए-2 ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धरमबीर, बेग राज के बेटे उमेद सिंह और बेग राज के बेटे धरम पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जैसा कि आरोपी ए-2 द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 736 दिनांक 1 में खुलासा किया गया था। 14. तदनुसार, मजिस्ट्रेट ने अलग से संज्ञान लिया और धरमबीर, उमेद के खिलाफ मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

सिंह, बेग राज का पुत्र और धरम पाल, बेग राज का पुत्र, 25.01.1997 पर [1995 के शिकायत मामला संख्या 95-1 में (1997 का सत्र मामला संख्या 62]

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 30 के तहत। इसके अलावा दिनांक 1 के आदेश द्वारा, सत्र न्यायाधीश ने सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया। सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

15. 1997 के सत्र मामले संख्या 62 में, सत्र अदालत ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा बेग राज के बेटे धर्मपाल उमेद सिंह को बरी कर दिया। निम्नलिखित कारणों से बेग राज और धरमबीर का पुत्र

क) वह अभियोजन बेग राज के पुत्र आरोपी धर्मपाल की ओर से मकसद स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि वह पहले ही चुनाव जीत चुका है।

ख)

मृतक को फोन किया और कहा कि उन्हें किसी को गोली मारनी है ताकि डी. डब्ल्यू.-1 (कमला) के साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए गए मामले में बेग राज के पुत्र सरपंच धर्मपाल को झूठा फंसाया जा सके।

निश्चित और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

अभियोजन पक्ष की यह कहानी कि मृतक को गांव से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर आरोपी धर्मपाल द्वारा गोली मार दी गई थी, बेग राज के बेटे की अनुपस्थिति में अप्रमाणित है। डी. डब्ल्यू.-5 भीम सिंह के साक्ष्य द्वारा समर्थित, उक्त अपराध स्थल में कोई भी दोषपूर्ण साक्ष्य।

उस डी. डब्ल्यू.-2 उमेद सिंह ने 16.12.1994 पर लगभग 4 बजे इसकी पुष्टि कीः 30 ए. एम. अपने गाँव जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने

नानक राम के बेटे धर्मपाल, शोभत सिंह और सुरेश को, जो मृतक के साथ ऑटो-रिक्शा में सिंगल बैरल बंदूक लिए हुए थे, देखा था।

पीडब्लू-4 (शोभत सिंह [ए-2]) के विरोधाभासी है कि वे मृतक को अस्पताल कैसे ले गए। कि शिकायतकर्ता अपनी प्रतिपरीक्षा में वाहन की संख्या, वाहन के चालक को बताने में विफल रहे। वे यह भी समझाने में विफल रहे हैं कि जब वे गाँव से 1-1/2 किमी की दूरी पर थे तो उन्होंने गाँव में और मृतक के परिवार के सदस्यों को तुरंत इस मामले की सूचना क्यों नहीं दी।

वह अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति डी. डब्ल्यू.-3 (जिल सिंह) के समक्ष की गई थी।

यह कि तत्काल मामले में बरामद बंदूक शिकायतकर्ता सुरेश [ए-3] की बंदूक थी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध एफएसएल रिपोर्ट से साबित होता है कि मृतक के शरीर में पाए गए छर्रों उस बंदूक से दागे गए छर्रों के समान थे। इसलिए, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ उचित संदेह से परे एक मामले को साबित करने में विफल रहा। इसलिए, सभी अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. सत्र मामले में निचली अदालत के फैसलों से व्यथित

तो। 60 , अभियुक्त ए-2, ए-3 और ए-4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष क्रमशः आपराधिक अपील सं. 273-डी. बी., 57-डी. बी., 920-एस. बी. दायर की। दूसरी ओर, अभियुक्त ए-2 ने बेग राज के पुत्र धर्मपाल, बेग राज के पुत्र उमेद सिंह और उनके खिलाफ 2002 की आपराधिक अपील संख्या 751-डी. बी. ए. दायर की।

सत्र न्यायालय द्वारा सत्र मामले संख्या 62 में पारित हरम्बीर

997. यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने सभी अपीलों को एक साथ जोड़ दिया और दिनांक 03.01.2012 के एक सामान्य विवादित फैसले के माध्यम से उन्हें खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आगे अभियुक्त ए-2 और ए-3 को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। श्रीमती को नुकसान के रूप में एक लाख। काम

17. ला और उसके दो बच्चे। उच्च न्यायालय ने बरकरार रखते हुए

दोषसिद्धि पर निम्नलिखित आधारों पर जोर दिया गया

कि अभियुक्त ए-2 और ए-1 ने स्वीकार किया था कि उनके पास था

अ)

अपनी पत्नी की उपस्थिति में चंदर भनत को अपना घर बुलाया,

16.12.1994 पर।

ख)

चंदर भान को आदर्श नगर, हिसार के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ आरोपी ए-3 ने उसे अपनी सिंगल बैरल बंदूक से गोली मार दी। अभियुक्त-अपीलार्थियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण

(ग)

कुछ दोषपूर्ण वस्तुओं की वसूली के लिए।

गोलियों, बंदूक और गोला-बारूद की बरामदगी जैसे पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड में हैं।

(घ)

कुछ ठोस सामग्री आदि यह साबित करने के लिए कि चंदर भान को उस कोठा (कमरे) के अंदर आरोपी द्वारा गोली मारी गई थी, न कि अभियुक्त द्वारा

अन्य गिरोह, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त ए की ओर से एक स्पष्ट उद्देश्य था

ई)

2 ऐसा अपराध करना ताकि बेग के बेटे धर्मपाल को फंसाया जा सके।

राज (सरपंच) एक झूठे मामले में।

पत्नी की गवाही के अलावा-कमला और पुनर्प्राप्ति

च)

आपराधिक सामग्री, पीडब्लू 14 (उमेद सिंह) का साक्ष्य, जिसने बयान दिया कि उसने उस सुबह सुरेश के साथ आरोपी को चंदर भान (मृतक) के साथ देखा था, भी आरोपी के खिलाफ जाने वाली एक प्रमुख परिस्थिति थी।

जी)

अंत में, जिल सिंह (पीडब्लू) के समक्ष किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति।

16) , सत्य और स्वैच्छिक पाया जाता है और चूंकि पीडब्लू-16 एक है

स्वतंत्र गवाह, उसके साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

निश्चित और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो जाती है ताकि घर लाया जा सके।

ज)

अभियुक्त का अपराध।

(i)

इसके अलावा, इस्तेमाल की गई बंदूक एक लाइसेंस प्राप्त बंदूक थी जो

लाचमान, ए-3 का पिता, जिसने बंदूक को अपनी हिरासत से लेने की अनुमति दी थी और अपने बेटे द्वारा इसका दुरुपयोग किया था। इसलिए, शस्त्र अधिनियम के तहत दोषसिद्धि भी उचित थी।

18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित, अभियुक्त ए-2 और ए-3 ने आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी है

नहीं। 1445-1446 2012 का (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) नहीं। 2868-2869 2012 का) 1995 के सत्र मामले संख्या 60 में सत्र परीक्षण संख्या 22 में

1995. इसके अलावा अभियुक्त ए-2 ने आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी, जो 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1458 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न हुई। 2012 का सं. 2926), 1997 के सत्र मुकदमा सं. 97 में 1997 के सत्र मामला सं. 62 में बेग राज के पुत्र धर्मपाल, बेग राज के पुत्र उमेद सिंह और धरमबीर को बरी करने के खिलाफ।

19. अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अंजना प्रकाश ने मुख्य रूप से निम्नानुसार तर्क दिया हैः

ए) कि मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य और श्रृंखला शामिल नहीं है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण नहीं है; इसलिए, निराधार साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

टिके रहें।

ख)

वह पीडब्लू-13 (मृतक की पत्नी), जब भौतिक रूप से सामना किया जाता है, इस बयान का खंडन किया कि उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी ए-भूमि अपीलार्थी आरोपी ए-2 ने मृतक से कहा था कि उन्हें सरपंच धर्मपाल को फंसाने के लिए किसी पर गोली चलानी पड़ी थी

बेग राज का पुत्र।

ग) उस स्थान पर पीडब्लू-14 की उपस्थिति संदिग्ध है। उन्होंने एक अतार्किक कहानी बनाई कि 4 बजे अपने गाँव जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा करते हुएः 00 उन्होंने अपीलार्थी और धर्मपाल को मृतक के साथ देखा था। लेकिन प्रतिपरीक्षा में वह समझाने में सक्षम नहीं थे

वह साढ़े तीन घंटे पहले परिवहन की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, विशेष रूप से

जब उनके गाँव के लिए पहली बस 7 बजे निकलती हैः 30 एएम।

घ) उस पीडब्लू-14 ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पीडब्लू-13 को यह नहीं बताया कि उसने आरोपी व्यक्तियों को उक्त ऑटो-रिक्शा में मृतक के साथ बंदूक लिए हुए देखा था। पीडब्लू-14 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी स्वीकार किया है कि उसने और पीडब्लू-16 ने पूर्ववर्ती सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में मृतक को घायल कर दिया था

9 एस सी आर।

समय के साथ और इस तथ्य से इनकार किया कि पीडब्लू 16 के भाई ने निकाल दिया था

उस पर

मृतक।

वह कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति जो पहले 25.12.94 पर की गई थी

ई)

पीडब्लू-16 इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि इसे इसके तहत बनाया गया था।

महा सिंह ने उन्हें पहले सरपंच चुनाव में हराया था। इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ चुनावी प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है।

च)

कि यदि अभियुक्त व्यक्तियों को 18.12.94 पर गिरफ्तार किया गया था, तो

25.12.94 पर किए गए कथित गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति का सवाल

इससे पहले कि पीडब्लू16 अभियोजन पक्ष की कहानी में संदेह पैदा करता है।

कि एफ. आई. आर. अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई थी और यह भी एक

जी)

इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह अपीलार्थी-अभियुक्त था जो लाया था

घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ज)

कि तत्काल मामले में बरामद बंदूक की लाइसेंस प्राप्त बंदूक है

आरोपी सुरेश के पिता और कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है

यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध है कि शरीर में पाए गए छर्रों

मृतक को उस बंदूक से गोली मारी गई थी।

कि परिस्थितिजन्य मामले में उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

(i)

चुनाव के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति की ओर से अनुमान लगाया जाए प्रतिद्वंद्विता।

कि इस मामले में जाँच अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है

जे)

गिरफ्तारी की तारीख के संबंध में विरोधाभास हैं

घटना के दो दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं के खिलाफ लेकिन अस्वीकार कर दिया गया फिर उन्हें गिरफ्तार करें। हालाँकि, अभिलेख पर सामग्री से यह है

कि यह कहा जा सकता है कि आई. ओ. वास्तविक अभियुक्त को दोषमुक्त कर रहा है और अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाना।

20. दूसरी ओर, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

ई राज्य, डॉ मोनिका गुसैन, निचली अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए

हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि आरोपी कठोर अपराधी थे, जो राजनीतिक वीरता के लिए अपनी खुद की हत्या करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि आदर्श में जगह पर वसूली

आगर अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करता है। वह तर्क देती है कि अगर ए

तथापि, अभियुक्त ए-1 के संस्करण पर विचार किया जाता है, फिर एस. यू. आर. ई. एस. एच. और ए. एन. आर.।

मृतक को 24 किलोमीटर दूर हिसार के अस्पताल में ले जाने का कोई सवाल ही नहीं था, जबकि कथित अपराध के आसपास एक अस्पताल था

दृश्य।

21. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हमारे चिंतित विचार को देखते हुए, शुरू में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के कुछ बयानों का पालन करना उचित होगा, जिनके साक्ष्य पर निचली अदालतों के पास है। अत्यधिक निर्भरता। इस उद्देश्य के लिए, हमारे लिए दोनों मामलों को अलग-अलग निपटाना आवश्यक होगा। सबसे पहले, हम 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1445-1446 पर विचार करना चाहेंगे और उसके बाद विचार करेंगे।

2012 की आपराधिक अपील सं. 1458।

22. पीडब्लू-1 (डॉ. बिश्नोई), एस. एम. ओ. जनरल अस्पताल, टोहाना ने बयान दिया कि वह वही व्यक्ति था, जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया था।

चोट की प्रकृति के बारे में उनका कहना है कि

दोनों जांघों के सामने के ऊपरी भाग के साथ ट्रंक और श्रोणि क्षेत्र के सामने 1/3 सेमी के आकार के कई गोल और अंडाकार आकार के घाव मौजूद होते हैं जिनकी संख्या लगभग (50) होती है। इनमें से अधिकांश घाव शरीर के सामने वाले हिस्से के बाईं ओर मौजूद थे। ये थक्केदार खून से ढके हुए थे

घावों के साथ उल्टे किनारे। कोई ब्लैकनिंग या टैटू नहीं था। ..... श्रोणि और निचले हिस्से में सभी संरचनाएँ

छोटी और बड़ी आंत और वाहिकाओं सहित पेट घायल हो गया था। पेट लाल रंग के खून से भरा हुआ था।

23. पीडब्लू-2 (डॉ. सुरिंदर सिंह), चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने अस्पताल में चंदर भान (मृतक) का इलाज किया। वह अवलोकन से इस बात को नकारता है बेड-हेड टिकट में से, चंदर भान (मृतक) को लाया गया था

हिसार में अस्पताल, आरोपी ए-1 और ए-2 द्वारा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक को अर्ध-चेतन अवस्था में अस्पताल लाया गया था।

24. पीडब्लू-13-श्रीमती. मृतक चंदर भान की विधवा कमला का कहना है कि 1 तारीख को सुंदवास गांव में एक चुनाव हुआ था, जिसमें मृतक चंदर भान महा के चुनाव एजेंट थे। सिंह। उसने महा सिंह के समर्थन में उन लोगों को अपदस्थ कर दिया, कथित तौर पर बंदूक की गोलियां चलाईं और कथित तौर पर

उपरोक्त गोलीबारी में घायल हो गए थे। 15-16 th की दरम्यानी रात में, ए-1 और ए-2, मृतक चंदर भान से मिलने आए। वह बताती है कि उसके पति ने उपरोक्त आरोपी से पूछताछ की थी, जो

उसने उसे बताया था कि उन्हें हिसार जाना है और किसी को गोली मारनी है ताकि बेग राज के बेटे धर्मपाल को एक झूठे मामले में शामिल किया जा सके। उस में वह बताती है कि तीनों आरोपी (ए-1, ए-2 और ए-3) और चंदर भान (मृतक) हिसार के लिए रवाना हो गए।

25. यह ध्यान रखना कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है कि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, वह कहती है कि

मैंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि आरोपी धर्म और शोभत ने मेरे पति से कहा है कि किसी को गोली मारनी है। मैंने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि आरोपी धर्म और शोभत ने मेरे पति से कहा था कि वे धर्मपाल सरपंच को शामिल करने के लिए अपने ही भाई पर गोली चला देंगे।

26. पीडब्लू-14 (माही राम का पुत्र उमेद सिंह) कहता है कि वह सुंदवास गाँव का रहने वाला है। 15.12.1994 पर, अपना वोट डालने के बाद, उन्होंने शाम को बीज और उर्वरकों की खरीद के लिए हिसार लौट आए। अगली सुबह, लगभग 4 बजे, जब वह हिसार की बोरस्टल जेल के पास खड़े थे, अपने गाँव सुंदवास वापस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। लगभग उसी समय हिसार शहर के किनारे से एक ऑटो रिक्शा आया और उसके पास रुका। ऑटो-रिक्शा में सवार लोगों पर ए-1, ए-2, ए-3 और चंदर भान को आरोपित किया गया था। उनका कहना है कि आरोपी ए-3 के पास एक सिंगल था।

उसके हाथ में बंदूक। जब सवारियों ने उसके बारे में पूछा, तो उसने उन्हें जवाब दिया कि वह अपने गांव वापस जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था और ऑटो में रहने वालों ने कथित तौर पर उसे बताया कि वे किसी जरूरी काम पर जा रहे हैं। 27. पीडब्लू-15-जांच अधिकारी भीम सिंह ने बयान दिया है कि आरोपी ए-2 ने उमेद सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

बेग राज और धरमबीर के धर्मपाल बेटों ने इस आधार पर कि उन्होंने पूर्व प्रतिद्वंद्विता के कारण मृतक चंदर भान को गोली मार दी है। वह.

उन्होंने आगे कहा कि जांच को आगे बढ़ाते हुए, अपराध के कथित स्थल पर पहुंचने पर, उन्हें जीप या किसी भी निश्चित और ए. एन. आर. के टायर के निशान नहीं मिले।

दोषारोपण के निशान जो भी हों। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उनके साक्ष्य यह दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि बेग राज के पुत्र विजेता उम्मीदवार धर्मपाल के खिलाफ झूठे अभियोजन के मामले को घटना स्थल के बारे में पुलिस प्राधिकरण को गुमराह करके पूरा प्रभाव दिया गया था। उन्होंने आगे रिकॉर्ड किया पीडब्लू-13 का वक्तव्य-श्रीमती. कमला को पता चला कि आरोपी ए-2 और ए-1 आधी रात के आसपास मृतक के घर आया और चंदर भान को इस बहाने से ले गया कि चूंकि महा सिंह चुनाव हार गया था और एक आपराधिक मामले में शामिल था, इसलिए उन्हें बेग राज के बेटे सरपंच धर्मपाल के खिलाफ जवाबी मामला दर्ज करके उसे गलत तरीके से फंसाना चाहिए।

28. पीडब्लू-15 ने आगे कहा कि पीडब्लू-14 ने सूचित किया कि जबकि उमेद सिंह (पीडब्लू-14) हिसार की बोरस्टल जेल में परिवहन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे।

4: 00 ए. एम. ने 16.12.1994 पर देखा था कि आरोपी ए-1, ए-2, मृतक चंदर भान और ए-3 किसी जरूरी काम पर जा रहे थे और उन्होंने ए-3 को एक बैरल बंदूक पकड़े हुए भी देखा था।

29. इसके अलावा, पीडब्लू-15 ने यह भी बयान दिया था कि बाद में पीडब्लू-16 पर जिल सिंह ने आरोपी को अपने सामने पेश किया था, जहां उसने आरोपी द्वारा उसके सामने किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में जिल सिंह का बयान दर्ज किया था। यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि परीक्षा में पीडब्लू-15 प्रमुख ने कहा है कि जिल सिंह (पीडब्लू 16) ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया और पूछताछ पूरी होने तक इंतजार नहीं किया। जबकि, प्रतिपरीक्षा में वह खुद का खंडन करता है

कि अपीलार्थी-अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज़िले सिंह (पीडब्लू-16) मौजूद थे। पीडब्लू-15 ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के आधार पर आदर्श नगर हाउस के कमरे और खुरली से बंदूक, गोलियां, छर्रों और कुछ ठोस सामग्री की बरामदगी की गई थी।

30. पीडब्लू-16 (ज़िले सिंह) बयान देता है कि 25.12.1994 पर, जब वह गाँव सुंदवास आया था, तो आरोपी ए-1, ए-2 और ए-3 ने अपराध की कार्यप्रणाली और उसके बाद के विवरण के साथ उसके सामने कबूल किया था।

घटना को कवर करें। इसके बाद, वह कहता है कि उसने आरोपी पूछताछ के लिए पुलिस के पास गया और उसकी उपस्थिति में पूछताछ की गई। उचित स्तर पर, हम जिल सिंह (पीडब्लू 16) के समक्ष किए गए उपरोक्त स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता और अभियोजन पक्ष के मामले पर इसके प्रभाव की जांच करेंगे।

31. अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले अन्य गवाहों के साक्ष्य के संबंध में, पीडब्लू-17, मेवा सिंह, पंच गवाह हैं।

अपराध स्थल से पुलिस द्वारा की गई बरामदगी। उन्होंने इसे [2018] 9 एस. सी. आर. पर अपदस्थ कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25.12.1994 , यह जानकारी मिलने पर कि चंदर भान की हत्या के मामले में असली दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह एक संत लाल के साथ पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने आगे कहा कि आई. ओ. भीम सिंह

उसकी उपस्थिति में आरोपी से पूछताछ की। कि इस तरह की पूछताछ के दौरान, आरोपी ए-1 और ए-3 ने बताया कि वे अपराध के दृश्य के साथ-साथ छिपी हुई बंदूक भी दिखा सकेंगे। उन्होंने आगे बयान दिया था कि वह और संत लाल जांच अधिकारी द्वारा की गई बाद की बरामदगी के गवाह थे।

32. कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य की सराहना करने के बाद, हम शुरुआत में स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। न्यायिक रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अर्थ कभी तय नहीं हुआ है। यद्यपि हमे न्यायशास्त्र संबंधी द्विभाजन के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं हो सकती है जो 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य' के रूप में मौजूद है, हम कुछ उदाहरणों का संकेत दे सकते हैं और कानूनी साहित्य ने उपरोक्त शब्द के लिए एक निश्चित आकार दिया है। थॉमस स्टार्की में, सबूत के कानून पर एक व्यावहारिक ग्रंथ, और सबूतों का पाचन, दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में (वॉल्यूम। I, चौथा संस्करण, 1876), यह कहा जाता है कि

" आपराधिक मामलों में, इस बात का प्रमाण कि आरोपी पक्ष अपराध करने के लिए हित के एक मजबूत उद्देश्य से प्रभावित था

किए गए हैं, हालांकि बहुत कमजोर और

अपने आप में अनिर्णायक, और हालाँकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसे कभी भी कार्पस डिलिक्टि के प्रमाण में काम नहीं करना चाहिए, फिर भी जब यह एक बार स्थापित हो गया है, तो यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर दूसरों के साथ संयोजन में विचार किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त को फंसाइए "।

सर फिट्ज जेम्स स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का परिचय लिखते हुए लिखा हैः

इस मुद्दे से संबंधित तथ्य अस्तित्व से तथ्य हैं जिनके अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

एक तथ्य दूसरे तथ्य के लिए प्रासंगिक है जब एक के अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व का कारण या कारणों में से एक, या प्रभाव या प्रभावों में से एक के रूप में दिखाया जा सकता है, या जब एक का अस्तित्व, अकेले या अन्य तथ्यों के साथ, दूसरे के अस्तित्व को अत्यधिक संभावित या असंभव बनाता है।

घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार।

निश्चित और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

व्हार्टन का आपराधिक साक्ष्य (1955)

" नरहत्या के अभियोजनों में, जैसा कि आम तौर पर आपराधिक अभियोजनों में, उद्देश्य दिखाने के लिए साक्ष्य सक्षम है और इसके परिचय में काफी अक्षांश की अनुमति है। जब कार्पस डिलिक्टि का प्रमाण बनाया जाता है, तो सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो उद्देश्य दिखाती हैं

अभियुक्तों की ओर से प्रासंगिक हैं "।

33. मयूर वी। राजा, 13 सी. एल. आर. 619, ने व्याख्या की

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का अर्थ

क्या तथ्य, या तथ्यों का वह समूह जिसे 'मामला' कहा जाता है, एक विशेष निष्कर्ष निकालने में सक्षम है, यह न्यायालय के लिए है, और जब तक कि यह इतना सक्षम नहीं है, तब तक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इसे एक तथ्य के रूप में या एक मामले के रूप में जूरी से रोक दे। लेकिन जब मामला है

निस्संदेह अपराध का अनुमान लगाने में सक्षम, हालांकि कुछ अन्य अनुमान या सिद्धांत संभव हैं, यह जूरी के लिए है, जो ठीक से निर्देशित है, और केवल उनके लिए, यह कहना कि क्या यह अपराध की एक मजबूत संभावना रखता है, बल्कि क्या अनुमान वास्तव में और स्पष्ट रूप से मौजूद है, और इसलिए अन्य सभी निष्कर्षों को पूरी तरह से पार कर जाता है या

परिकल्पनाएँ, उनके दिमाग में अपराधबोध का कोई उचित संदेह नहीं छोड़ती हैं।

34. अनंत चिंतामन लागू बनाम। बॉम्बे राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500, इस अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को परिभाषित किया

इस संदर्भ में परिवेशीय साक्ष्य का अर्थ है, तथ्यों का एक ऐसा संयोजन जो एक ऐसा तंत्र बनाता है जिसके माध्यम से कोई बच नहीं सकता है। अभियुक्त, क्योंकि समग्र रूप से लिए गए तथ्य स्वीकार नहीं करते हैं

उसके अपराध के अलावा कोई भी अनुमान।

35. उपरोक्त परिभाषा के अनुरूप, इस न्यायालय ने मामलों के कैटेना में 'पूर्ण श्रृंखला संबंध सिद्धांत' के परीक्षण की व्याख्या की है

उचित संदेह से परे एक मामले को साबित करने के लिए अभियोजन

परिस्थितिजन्य साक्ष्य। हनुमंत और अन्य बनाम। मध्य राज्य प्रदेश, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 [इसके बाद 'हनुमंत मामला' के रूप में संदर्भित किया गया

संक्षिप्तता के लिए], इस न्यायालय ने साबित करने के संभावित तरीकों में से एक को समझाया

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला, निम्नलिखित तरीके से

जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल इस परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिएः

अभियुक्त का अपराध। फिर से, परिस्थितियाँ [2018] 9 एस. सी. आर. की होनी चाहिए।

निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि वे हर परिकल्पना को बाहर कर दें, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।

36. यह पहली बार था जब इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित एक परीक्षण तैयार किया। इसके बाद, उपरोक्त परीक्षण को इस न्यायालय द्वारा देवनंदन मिश्रा बनाम मामले में कई मौकों पर लागू किया गया था।

बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 801, गोविंदा रेड्डी बनाम। मैसूर राज्य, ए. आई. आर 1960 एस. सी. 29.

37. चरण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 520, इस न्यायालय ने हनुमंत मामले (ऊपर) में निर्धारित प्रस्ताव की व्याख्या की, और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, पहली बार में, पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त व्यक्ति के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए; अर्थात, परिस्थितियाँ ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो हर परिकल्पना को यथोचित रूप से बाहर कर दे लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में कहें तो सबूतों की श्रृंखला

अभियुक्त व्यक्ति की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ने के लिए यह पूर्ण होना चाहिए।

हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय ने पहली बार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए लागू सामान्य परीक्षण की व्याख्या की और 'साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने' की अवधारणा को लाया।

38. शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर 1984 एस. सी. 1622। इसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटने के दौरान, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन पक्ष में कमजोरी या कमी को झूठे बचाव या याचिका से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में पूर्ववर्ती शर्तें, दोषसिद्धि से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती हैं, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। वे हैं।

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और न कि केवल 'स्थापित' की जा सकती हैं; (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात उन्हें निश्चित होना चाहिए।

किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होगा सिवाय इसके कि अभियुक्त

दोषी है;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। (4) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए

सिद्ध किया जाए; और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि कोई सबूत न छोड़े।

के अनुरूप निष्कर्ष के लिए उचित आधार

अभियुक्त की बेगुनाही और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

39. परिवेशीय साक्ष्य वे तथ्य हैं, जिनका न्यायालय आगे अनुमान लगा सकता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, अदालतों से उपलब्ध साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है, जिससे आरोपी दोषी हो सकता है। अधिकांश मामलों में, अपराध का निष्कर्ष आमतौर पर इसकी शुरुआत से लेकर मामले को स्थापित करके निकाला जाता है।

आयोग का बिंदु जिसमें प्रत्येक तथ्यात्मक कड़ी अंततः किसी तथ्य के साक्ष्य या उसके निष्कर्ष पर आधारित होती है। इसलिए, अदालतों को पहले तथ्यों की पहचान करनी होगी ताकि मामले को मामले के भीतर फिट किया जा सके। 'चेन लिंक थ्योरी' के मापदंड और फिर देखें कि क्या मामला बनाया गया है

उचित संदेह से परे। भारत में हमने हनुमंत केस (उपरोक्त) के बाद से लंबे समय तक 'चेन लिंक थ्योरी' का पालन किया है, जिसका निश्चित रूप से यहां भी पालन करने की आवश्यकता है।

40. हमें पाँच पहलुओं और मामले पर उनके प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है।

हाथ में, इससे पहले कि हम अपना विश्लेषण करें। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामले में उद्देश्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिवाजी जेनु मोहिते बनाम। महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1973 एससी 55 -

" यदि अभियोजन पक्ष एक प्रेरक उद्देश्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है, जो एक गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह बनें। उद्देश्य के रूप में साक्ष्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, [2018] 9 एस. सी. आर.

पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर मामलों में एक लंबा रास्ता तय करें सबूत। इस तरह के साक्ष्य ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी बनेंगे। लेकिन उन मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां विश्वसनीयता के चश्मदीद गवाह हैं, हालांकि ऐसे मामलों में भी यदि कोई मकसद ठीक से साबित हो जाता है, तो इस तरह के सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करेंगे और अदालत को उसके अंतिम निष्कर्ष में मजबूत करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि उद्देश्य स्थापित नहीं होता है, तो एक चश्मदीद गवाह का सबूत प्रस्तुत किया जाता है।

अविश्वसनीय "।

इस मामले में उद्देश्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, यहाँ उद्देश्य मध्यवर्ती तथ्य/परिस्थितियों में से एक है। इस मामले में, चंदर भान (मृतक) की हत्या का उद्देश्य बेग राज के बेटे धर्मपाल पर झूठा मामला थोपना था। अगर मकसद झूठा मामला दर्ज कराना था, तो यह मानना बहुत अजीब है कि आरोपी ने चुनाव में हार का बदला लेने के लिए अपने (महा सिंह के समर्थक) की हत्या कर दी। भले ही मकसद

41. गवाहों की विश्वसनीयता, जिस पर अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले को साबित करने के लिए निर्भर करता है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस मामले में पीडब्लू-13 (की पत्नी) का साक्ष्य मृतक) महत्वपूर्ण है। उनके बयानों की सावधानीपूर्वक सराहना की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बयान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बयानों में भौतिक सुधार थे, जो उनके बयान को अविश्वसनीय और संदिग्ध बनाता है। प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए प्रतिशोधी बयान स्पष्ट रूप से हमें उसकी गवाही को ध्यान में रखने से रोकते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पत्नी और आरोपी अपीलार्थियों के बीच पूर्व शत्रुता थी, जो उसके बयान देती है

अविश्वसनीय। उसके साक्ष्य से पता चलता है कि भले ही वह जानती थी कि उसके पति को किसी को गोली मारने के लिए ले जाया गया था, लेकिन वह चुप रही और अपने पति को आरोपी के साथ जाने से नहीं रोका। इस तरह का व्यवहार संदिग्ध होगा क्योंकि यह किसी भी आत्मविश्वास को प्रेरित करने के लिए प्राकृतिक मानव व्यवहार के साथ फिट नहीं बैठता है।

42. हालाँकि इस न्यायालय ने कई मौकों पर दोहराया कि मृतक के साथ केवल संबंध ही किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। गवाह, वर्तमान परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि आरोपी के बीच पहले की दुश्मनी के कारण पत्नी एक इच्छुक गवाह थी।

हमारा मानना है कि उपरोक्त गवाह हमें उस पर भरोसा करने का विश्वास नहीं दिलाता है।

43. पीडब्लू-14 (उमेद सिंह) की गवाही पर आते हुए, बचाव पक्ष ने कुछ मामलों में उपरोक्त गवाह को बेनकाब करने की कोशिश की है।

संयोगवश गवाह होने की उनकी सत्यता संदिग्ध है। अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि पीडब्लू-14 एक संयोग गवाह है, और तर्क दिया है कि उसके बयान पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। 44. आम तौर पर, संयोग गवाह, जो प्रासंगिक समय पर नामित स्थान पर अपनी उपस्थिति को उचित रूप से समझाता है, को ध्यान में रखा जा सकता है और उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, अगर उसका संस्करण विश्वास को प्रेरित करता है और आसपास की परिस्थितियों द्वारा समर्थित है। फिर भी, एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सतर्क और करीबी जांच की आवश्यकता होती है। एक संयोग गवाह को अपनी उपस्थिति की पर्याप्त व्याख्या करनी चाहिए।

घटना के स्थान पर [सतबीर बनाम देखें। सूरत सिंह (1997) 4 एस. सी. सी. 192; हरजिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2004) 11 एस. सी. सी. 253]। एक संयोग गवाह की गवाही जिसकी घटना स्थल पर उपस्थिति बनी हुई है संदिग्ध को त्याग दिया जाना चाहिए [शंकरलाल बनाम का संदर्भ लें। राजस्थान राज्य,

(2004) 10 एस. सी. सी. 632] घटना के बाद संयोग गवाह के व्यवहार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या उसने घटना के बारे में गाँव में किसी और को सूचित किया है। [थंगैया वी का संदर्भ लें। तमिलनाडु राज्य, (2005) 9 एससीसी 650]।

45. यह ध्यान दिया जा सकता है कि (पीडब्लू-14) ने यह नहीं बताया है कि वह ब्रिस्टल जेल के पास इतनी जल्दी 4 बजे क्यों खड़ा थाः 00 सुबह में हूँ

सर्दियों के चरम दिन, जब गाँव के लिए पहली बस 7 बजे थीः 00 एएम। इसके अलावा, यह संदेह है कि ए-3 ने ऑटो-रिक्शा में यात्रा करते समय बंदूक लहरा दी होगी। यह संदिग्ध है कि यह जानने के बाद भी कि हिसार में चंदर भान की हत्या कर दी गई थी, पीडब्लू-14 ने किसी को यह नहीं बताया कि उसने मृतक को सुबह हिसार की ओर जाते हुए आरोपी अपीलार्थी के साथ देखा था। वास्तव में, यह काफी अविश्वसनीय है कि एक आदमी, उत्तर भारतीय सर्दियों के चरम के दौरान, एक बस के लिए सुबह 4 बजे इंतजार करेगा, जो 7 बजे रवाना होने वाली हैः 00 ए एम मॉर्निंग। ये संदिग्ध परिस्थितियाँ पीडब्लू-14 की सामान्य विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। इसलिए, यह न्यायालय इस गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है।

46. अब जिल सिंह (पीडब्लू-16) के साक्ष्य पर आते हैं। वह बताता है कि तीनों आरोपी उससे 25.12.1993 की सुबह बस स्टॉप पर मिले, जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना अपराध कबूल कर लिया। हम कर सकते हैं ध्यान दें कि उनके बयान निम्नलिखित अस्पष्ट संदेहों से भरे हुए हैं

कि जिल सिंह (पीडब्लू-16) अभियुक्त के साथ था, उसके बाद

ए।

उन्होंने बस स्टैंड से पुलिस स्टेशन तक कबूल किया।

अभियुक्त को पुलिस कर्मियों के पास नहीं ले जाना

बी।

बस स्टैंड।

कि पुलिस स्टेशन में ही उसकी उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि

सी।

आई. ओ. भीम सिंह (पीडब्लू-15) ने इस पहलू पर जिल सिंह (पीडब्लू-16) का खंडन किया है। कि इनमें से
किसी पर भी जिल सिंह (पीडब्लू-16) के हस्ताक्षर नहीं हैं।

डी।

पुलिस स्टेशन में दस्तावेज।

इन परिस्थितियों के आलोक में, हमें इस गवाह के बयानों पर विचार करने में सतर्क रहने की आवश्यकता है।

47. अब हमें जिल सिंह (पीडब्लू-16) के समक्ष सह-अभियुक्त के कथित स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रे पेरियास्वामी मूपन, ए. आई. आर. 1931 मैड। 177 , जे. रेली ने कहा, "जहां सह-अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, यदि विश्वास किया जाए, तो उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए, उस तरह के स्वीकारोक्ति का वर्णन किया गया है।

48. आदर्श नगर, हिसार में एक घर से छर्रों की बरामदगी के पहलू पर, अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क है कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट से बरामद बंदूक से छर्रों के दागे जाने की संभावना का संकेत मिलता है। अभियुक्त ए-3 के अपराध स्वीकारोक्ति को वह व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए, जो

रिपोर्ट की जांच नहीं की गई थी-कुछ प्रासंगिकता है।

एफ. एस. एल. निश्चित और ए. एन. डी. आर. रिपोर्ट करता है। वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

यह सबूत का हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि अपराध आदर्श नगर, हिसार के घर में हुआ था और इसके लिए ए-3 की 0.15 बोर की बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। अभियोजन पक्ष से रिपोर्ट के लेखक की जांच करने की उम्मीद की गई थी, और इसकी जांच न करना मामले में एक घातक त्रुटि है। इसके अलावा, घटना स्थल पर, कोई रक्त या पैर के निशान नहीं पाए गए, जो पीडब्लू-8 के साक्ष्य से स्पष्ट है।

49. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इंगित अंतिम परिस्थिति यह है कि यदि अभियुक्त-अपीलार्थी का इरादा वास्तव में था

मृतक की हत्या करने के लिए, फिर वे उसे अस्पताल क्यों ले जाएँगे। इस प्रकार, वह इस तर्क का विस्तार करती है, यह दर्शाने के लिए कि आरोपी का कभी भी मृतक को मारने का इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी द्वारा ऐसी कार्रवाई क्यों की जाएगी।

50. विभिन्न परिस्थितियों पर उपरोक्त चर्चा के अनुरूप, अब हम मध्यवर्ती परिस्थितियों की पहचान कर सकते हैं, जो हम हैं। से अपराध का अनुमान लगाने के लिए कहा गया

1.) 15.12.1994 पर, एक स्थानीय चुनाव था, जिसमें मुख्य उम्मीदवार महा सिंह और बेग राज के बेटे धर्मपाल थे।

2.) चंदर भान (मृतक) चुनाव एजेंट होने के साथ-साथ

महा सिंह के समर्थक।

3.) चुनाव के दिन दो गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें महा सिंह और एक दरिया पर बेग राज के बेटे धर्मपाल के समर्थकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया था।
4.) महा सिंह चुनाव हार गए, जिसकी आरोपी को जानकारी थी

पार्टी के साथ-साथ मृतक भी।

5.) सोभात सिंह [ए-2], नानक राम [ए-1] के पुत्र धर्मपाल और चंदर भान (मृतक) की मुलाकात 15-16 की आधी रात को हुई। 6.) हिसार के पास चंदर भान को आरोपी के साथ जाते देखा गया।

घटना के समय के आसपास। [संदिग्ध सच्चाई]

7.) घायल चंदर भान जीवित थे जब उन्हें सोभात सिंह [ए-1] और धर्मपाल [ए-2] द्वारा हिसार के अस्पताल लाया गया था।

8.) चंदर भान का शव उससे अधिक टिका हुआ पाया गया

पचास पूर्व पोस्टमॉर्टम बंदूक गोली के घाव।

9.) एक परित्यक्त घर से बंदूक और छर्रों को बरामद किया गया था

आदर्श नगर।

10.) जिल सिंह के समक्ष दर्ज किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

25.12.1994 .

51. उपरोक्त परिस्थितियों से, हम ध्यान दे सकते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रचार की गई परिकल्पना को उचित संदेह से परे साबित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी में स्पष्ट अंतराल मौजूद हैं, जो अधूरे या अपर्याप्त रूप से साबित हुए हैं। लतेश वी. महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 659, इस अदालत ने कहा था कि 'जब आप तथ्यों पर विचार करते हैं, तो आपको इस बात पर उचित संदेह होता है कि क्या मामला साबित हुआ है या क्या यह इस अर्थ में एक उचित संदेह नहीं है। सन्देह की तर्कसंगतता एक व्यावहारिक होनी चाहिए न कि एक अमूर्त सैद्धांतिक परिकल्पना पर। तर्कसंगतता एक ऐसा गुण है जो अत्यधिक सावधानी और संदेह के प्रति अत्यधिक उदासीनता के बीच एक साधन के रूप में बनता है। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिसके कारण

अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से यह साबित करने के लिए कि मृतक को हिसार के आदर्श नगर में गोली मारी गई थी। यहां तक कि जिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है, उनके बीच भी अंतराल होता है। उपरोक्त वर्णन में, अभियुक्त के गाँव छोड़ने और अभियुक्त के बीच एक बड़ा अंतराल है-अपीलकर्ताओं को हिसार के अस्पताल में देखा गया था। न तो मध्यवर्ती तथ्य निश्चितता के साथ स्थापित किए जाते हैं, न ही समग्र रूप से मामला उचित संदेह से परे स्थापित किया जाता है।

52. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपराधिक मामले में प्रत्येक बरी होने के फैसले को जांच और अभियोजन द्वारा कुछ गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

हालाँकि, जाँच के दौरान की गई छोटी-छोटी त्रुटियों के लिए, हम जाँच की कमियों की ओर आंखें मूंद नहीं सकते हैं जो मामले की जड़ तक जाती हैं। 53. अब, धरमबीर, उमेद सिंह और धरमपाल (सरपंच) के खिलाफ बेग राज के बेटों के खिलाफ 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1458 (1997 का सत्र मुकदमा संख्या 97 में 1997 का सत्र मामला संख्या 62) में दर्ज मामले पर आते हैं। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 (डॉ. आर. एस. बिश्नोई) से पूछताछ की थी।

पीडब्लू-2 (डॉ. सुरेंद्र सिंह), पीडब्लू-3 (एएसआई-जगबीर सिंह), पीडब्लू-4 (शोभत सिंह [ए-1]) और पीडब्लू-5 (नानक राम के बेटे धर्मपाल [ए-2])।

जबकि निश्चित और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [एन. वी. रमना, जे.]

डिफेंस ने डीडब्ल्यू-1 (कमला), डीडब्ल्यू-2 (उमेद सिंह), डीडब्ल्यू-3 (जिल) का नेतृत्व किया था।

सिंह), डीडब्ल्यू-4 (मेवा सिंह) और डीडब्ल्यू-5 (भीम सिंह)।

54. हमने इस मामले में अदालत के तर्क पर विचार किया है।

मामला, जिसे हम स्वीकार करते हैं। हालाँकि यह मामला एक मामला होने के लिए थोपा गया था प्रत्यक्ष साक्ष्य, अभियुक्त अपीलार्थी के बयानों में कोई विश्वसनीयता नहीं है जैसा कि आसपास की परिस्थितियों ने दिखाया है, जैसा कि पहले से ही है

निर्णय के पूर्व भागों में उनके विरुद्ध होने का संकेत दिया गया है। हम साक्ष्य के सुनहरे नियम पर ध्यान दे सकते हैं कि 'पुरुष झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बोलती हैं', जो इस मामले में पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए, हम अन्य अपीलों में अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन को भी सत्य के सुसमाचार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते।

55. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम आपराधिक अपील की अनुमति देते हैं।

मामला। देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।